**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग**

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

**मुकदमा नं0 75/2003**

1–गोपाल प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी करबा कामां तहसील कामां, (डीग)

**बनाम** वादी

1–रमनलाल पुत्र रामस्वरूप

2–गोविन्द प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी देहली दरवाजा कस्बा कामां भरतपुर

3–गोरधनी देवी पत्नि हरीराम शर्मा जाति ब्राहमण गांव सहरा पायसा अडींग जिला मथुरा

3/1 दिलीप कुमार पुत्र नत्थीलाल

3/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र नत्थीलाल

3/3 गुड्डन देवी पुत्री नत्थीलाल पत्नि नामालूम जातियान ब्राहमण निवासीयान सहरा पायसा नत्थीलाल आन्हौर बाले गांव पोस्ट अडींग जिला मथुरा तहसील व जिला मथुरा

4–श्रीमती कमला देवी पत्नि होतीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पशुचिकित्सालय के सामने अडींग जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश)

5–श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि निरोतमलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पुराना बस स्टैण्ड लक्ष्मीनारायण मन्दिर कामां

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1–श्री बृजलाल अधिवक्ता वादीगण

2–श्री बाबूलाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

# निर्णय

दिनांक 18.3.2024

वादी अधिवक्ता ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.07, 4003/2/0.17, 4004/2/0.12, 3986/0.32, 3982/0.07, 3983/0.12 वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 3996/2, 3997/2, 3998/2, 4003/2, 4004/2 के वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के अलावा अन्य सहकाश्तकार थे जिनके मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है । जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में भी हो चुका है । तथा आराजी खसरा नम्बर 3986 के 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 3982 में 1/4हिस्सा व खसरा नम्बर 3983 में 1/4 हिस्सा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का पिता रामस्वरूप सन् 1970 तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा था । वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता रामस्वरूप प्रतिवादीगण सं0 3, 4, 5 पुत्रीयां है । जिसके सवव उन्हें बतौर प्रतिवादी फरीक मुकदमा बनाया गया । जिनकी शादी पिता रामस्वरूप से अपने जीवनलाल उनके हिस्से के मुताबिक राशि जेबरात व अन्य कीमती सामान देकर सम्पन्न कर दी थी जिससे व सन्तुष्ट होकर राजीखुशी अपनी सुसरालों में रह रही है तथा प्रतिवादी नं0 3 लगा05 ने मौखिक रूप से अपना हक वादी का समपर्ण कर दिया था । वादी एवं पिता प्रतिवादीगण सं0 3, 4, 5 रामस्वरूप से अपनी मृत्यु से पहले आराजी मुतदाविया व अन्य दीगर आराजी का विभाजन सन् 1970 में पक्षकारों के बीच में कर दिया । और उस विभाजन में आराजी खसरा नम्बर 3996/2, 3997/2, 3998/2, 4003/2, 4004/2, सालिम व खसरा नम्बर 3986 का 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 3982, 3983, का 1/4 हिस्सा वादी के हिस्से व कब्जे में आया तथा प्रतिवादी नं0 1 रमनलाल को भोजनथाली बाले जंगल की जमीन व प्रतिवादी नं0 2 गोविन्द प्रसाद मुस0 कलावती के यहां गोद चला गया जिस पर मुस0 कलावती के गुजरने के बाद वतौर पिसर मुतबन्ना बारिस कलावती देवी खातेदार काश्तकार काबिज हो गया जिसके कारण प्रतिवादीगण का विवादित आराजी मुतदाविया में कोई संबंधी किसी किस्म का नहीं रहा और ना ही इस वक्त है। मौके पर इस वक्तवादी का शान्तिपूर्वक कब्जा है। यह है कि बाद बटवारा से यानि सन् 1970 से वादी आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.12 है0 सालिम व खसरा नम्बर 3986/0.32 एयर के 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 3982/0.07, 3983/0.12 एअर वाके कामां नं 0–2 के 1/4 हिस्सा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर इस वक्त भी वादी का कब्जा है। मुताविक कानून व देरीना कब्जे एवं पारिवारिक बटवारा सन् 1970 से वादी के हिस्से में आने के बाद से निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी का आराजी मुता0 पर 12 साल से भी अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है इसलिए वादी को आराजी मुतदाविया पर कब्जा मुखालमाना के आधार पर भी खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके है । किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने वाहिद रूप से वादी को उसके हिस्से में आराजी पर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के बजाय वादी के साथ प्रतिवादीगण को कतई गलत खिलाफ कानून मौका व कब्जा दर्ज किया जा रहा है । उक्त गलत इन्द्राज का इल्म दिनांक 7.4.2003 को नकल जमाबन्दी मिलने पर हुआ विदि वजह वादी डिकलेरेशन इस आश्य का जारी कर करा पाने का अधिकारी है कि वह आराजी मुतदाविया पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो रहा हे उसके कलमजन करा कर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है । प्रतिवादी नं0 2 मुस0 कलावती के यहां गोद चला गया था और मु0 कलावती द्वारा छोडी गई आराजी पर बतौर वारिस मु0 कलावती काबिज है । चूंकि राजस्व रिकार्ड में उसक बल्दियत रामस्वरूप दर्ज इसलिए दावा के शीर्षक में उसकी वल्दियत पिसर मुतबन्ना कलावती देवी के बजाय रामस्वरूप न्यायिक दृष्टि से दर्ज की गई है । आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.12 है0 4004/2/0.12 हैक्टर सालिम व खसरा नम्बर 3986/0.32 एयर के 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 3982/0.07, 3983/0.12 एअर वाके कामां नं 0–2 के 1/4 हिस्सा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अअधिकारी है और जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम आराजी की बावत दर्ज हो रहा है उसे कलमजन करा कर अपने आपको राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करा पाने का अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण नं0 2 की ओर अधिवक्ता ने जबाव पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3996/1.05,, 3997/0.15, 3998/0.18, 4003/2.01, 4004/1.09, 3986/1.00, 3982/0.07, 3983/0.12, है0 थे और कोई भी नम्बर बटा में नहीं लिखा था । खसरा नम्बर 3982, 3983 में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वा हिस्सा बराबर खातेदार चले आ रहे हैं । तथा इन दो नम्बरान के अलावा जो अन्य नम्बर व रकवा इस मद में दर्ज किया है । उसमें 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के सहकशतकारी तथा 1/2 हिस्सा हुकम माली का था । हुकम ने अपने 1/2 हिस्से को शशि रानी, सुशीला देवी, उर्मिलादेवी, रविन्द्रकुमार गीतादेवी उषारानी, को बेचान कर दिया बाद में इन खरीददारों ने अपने बयनामों के मुताबिक विभाजन के दावे न्यायालय श्रीमान में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खिलाफ किये जो इस न्यायालय से ही डिकरी हुए और उस डिकरी की पालना में कुर्रे बनाये गये तथा आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.17 है0 4004/2/0.12, 3986/0.32 एयर, 3982/0.07, 3983/0.12, वाके कस्बा कामां नं0 2 में वर्णित नम्बरान बटा डालते हुए वादी ने प्रतिवादी नम्बर एक व दो को दिये गये । और इसी प्रकार इन्द्राज किया गया विभाजन की डिकरी के खिलाफ अब भी वादी ने राजस्व अपील अधिकारी डीग के यहां अपील कर रखी है । इस प्रकार उक्त नम्बरान न्यायालय की डिकरी से अस्तित्व में आये है । वादी डिकरी के माध्यम से बने इस नम्बरान व इन्द्राज से पाबन्द है और उसके खिलाफ ऐस्टोपल लागू होता है । वादी ने पूर्व में नम्बरान के बारे में डि कलेरेशन का दावा किया था और उस समय जो नम्बरान थे उनमें से खसरा नम्बर 3997, 3998, 4003, के निस्फ हिस्से पर तथा 3986 में से एक बीघा अपने हिस्से में तथा रमन के हिस्से में बतलाई वह दावा वादी का खारिज हो गया जिसकी भी अभी अपील चल रही है और वर्तामान दावा धारा 10 जा0 दीवानी के तहत काबिल स्टे है तथा अपीलों के चलते वादी को कोई विवाद कारण उत्पन्न नहीं होता है । प्रतिवादी नं0 3 लगायत 5 ने भी इन नम्बरान के सबंध में डिकलेरेशन का दावा वादी व प्रतिवादी एक व दो के खिलाफ अपना हक मांगते हुए किया था जिसमें वादी ने कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया और यह दावा डिकरी हुआ था । वादी उस समय भी प्रतिवादी नं0 3 लगा0 5 के दावे का विरोध कर सकता था जिससे साफ जाहिर है कि वादी के इस दावे के कथन सत्य से परे है । वादी ने अपने पूर्व के दावे में प्रतिवादी नम्बर एक को सहकाश्तकार माना था जिससे वह पाबन्द है और वादी वर्तमान दावे को लाने का अधिकारी नहीं है तथा दावे मैनटेनेबिल नहीं है । वादी ने यही दावा प्रतिवादीगण तीन लगा0 5 की मिली भगत से प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की गरज है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

अतः जबाव दावा पेश कर प्रार्थना है कि दावा वादी मय खरचा खारिज फरमाया जावे । वादी की ओर अधिवक्ता ने अपने दावे के समर्थन नकल दाखिल खारिज नं02332, नकल हकत्याग दिनांक 10.7.2006, नकल जमाबन्दी सं0 2059–2062, पेश किये है ।

प्रतिवादीगण की ओर से गोविन्द प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी दिल्ली दरवाजा कामां , नकल गोदनामा दिनांक 20.4.74,नकल फैसला उपखण्ड अधिकारी कामा दिनांक 9.01.2001, शामिल किया है ।

वादी की ओर से अधिवक्ता ने पी0डब्लू नं0 1 गोपालप्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण , पी0डब्लू नं0 2 जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा कामां, नन्नू पुत्र घीसाराम जाति गोस्वामी ने शपथ पत्र पेश गवाह के रूप में बयान पेश किये हैं ।

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण ने अपने बयानों में कहा है कि हमारे पिता रामस्वरूप ने अपनी पुत्रियों प्रतिवादीगण नं0 3, 4, 5 की शादी अपने जीवनकाल में ही सम्पन्न कर दी थी और इस विवादित आराजी में जो हिस्सा प्रतिवादीगण नं0 3, 4, 5 का बनता था वह उन्हें उसी वक्त नगद व जेबरात स्वरूप क व हिस्सा पर प्रदान कर दिया था जो शादी के बाद अपनी सुसराल में सन्तुष्ट व राजीखुशी रह रही है । हमारे पिता रामस्वरूप का सन् 1970 में हमारे भाई गोविन्द प्रसाद प्रतिवादी नं0 2 का मु0 कलावती के यहां वतौर दत्तक पुत्र गोद चले जाने के पश्चात आराजी मुत0 व भोजनथाली के जंगल में स्थित आराजी मजकूर का बटवारा वादी व प्रतिवादी नं0 1 के बीच में इस प्रकार कर दिया कि आराजी मुत0 सम्पूर्ण रकवा वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में आया । और प्रतिवादी नं0 1 को भोजनथाली के जंगल की सम्पूर्ण आराजी मजकूर दे दी गई । गोविन्द प्रसाद मुस0 कलावती के यहां बतौर दत्तक पुत्र गोद चले जाने के पश्चात गोविन्द प्रसाद मुस0कलावती के नाम दर्ज आराजी मजकूर पर वाहैसियत खातेदार काबिज है और प्रति0 नं0 1भोजनथाली वाली जंगल की आराजी मजकूर पर काबिज है । और वादी सम्पूर्ण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । परन्तु राजस्व रिकार्ड में आराजी मुत0 पर मुझ वादी को वाहिद रूप से ,खातेदार काश्तकार दर्ज करने की बजाय मेरे साथ प्रतिवादी गण को कतई रूप से ,खातेदार काश्तकार दर्ज करने की बजाय मेरे साथ प्रतिवादीगण को कतई गलत खिलाफ मौका व कब्जा दर्ज किया जा रहा है । जिससे कलमजन किया जाकर आराजी मुत0 के सम्पूर्ण रकवा को मेरे नाम दर्ज किया जावे ।

वादी की ओर गवाह श्री जगदीश पुत्र बाबूलाल ने भी गोविन्द प्रसाद को मु0 कलावती के यहां के गोद लेना बताया है तथा जमीन बटवारा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 रमनलाल के बीच में भोजनथाली थाली वाली जमीन रमनलाल के हिस्से व कब्जे में आयी थी । यह विवादित जमीन वादी गोपाल प्रसाद के हिस्से व कब्जे में आयी थी । तभी से वादी आराजी मुत0 को व प्रतिवादी रमनलाल भोजनथाली वाली जमीन को व गोविन्द प्रसाद मुस0 कलावती वाली जमीन को जोतते बोते चले आ रहे हैं । तथा मौके पर इस वक्त भी आराजी मुत0 पर वाहिद रूप से वादी का ही कब्जा है आराजी मुत0 के किसी भी हिस्से को मैने प्रतिवादी गण काश्त करते नहीं देखा है । इसी प्रकार नन्नू पुत्र घीसाराम जाति गोस्वामी निवासी कामां ने भी बयान शपथ पेश किया है ।

प्रतिवादी अधिवक्तागण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये । तथा साक्ष्य बन्द कराये गये है। तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गयी :–

1– आया कि वादी सन् 1950 से आ0ख0न0 3996, 3997, 3998, 4803 सविक व खसरा नम्बर 3986, का 1/2 हिस्सा व खन0 3982, 3983 का 1/4 हिस्सा वाके कस्बा कामां नं0 2 पर वाहिद रूप से काबिज है । और अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है ।

वादी

2– आया कि प्रतिवादी नं02 मुस0 कलावती के यहां गोद चला गया जो मु0 कलावती के द्वारा छोडी गयी जायदाद पर बतौर वारिस मु0 कलावती काबिज जायदाद है ।

वादी

3–आया वादी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने नाम इन्द्राज दर्ज करा पाने का अधिकारी है ।

वादी

4–आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

वादी

5–आया दावा वादी हस्व दफा 10 जा0दी0 काबिले स्टे है ।

प्रतिवादीगण

6–आया वादी को दिनांक ऐस्टोपल सिद्धान्त खारिज होता है । प्रतिवादीगण

7–दादरसी
तनकीवार विवेचन इस प्रकार से है :–

1– आया कि वादी सन् 1950 से आ0ख0न0 3996, 3997, 3998, 4803 साविक व खसरा नम्बर 3986, का 1/2 हिस्सा व खन0 3982, 3983 का 1/4 हिस्सा वाके कस्बा कामां नं0 2 पर वाहिद रूप से काबिज है । और अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है ।

इस तनकी का सावित करने का भार वादी पर जिसके बारे में वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.07, 4003/2/0.17, 4004/2/0.12, 3986/0.32, 3982/0.07, 3983/0.12 वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां आराजी खसरा नम्बर 3996/2, 3997/2, 3998/2, 4003/2, 4004/2 के वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के अलावा अन्य सहकाश्तकार थे जिनके मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है । जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में भी हो चुका है । तथा आराजी खसरा नम्बर 3986 के 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 3982 में 1/4हिस्सा व खसरा नम्बर 3983 में 1/4 हिस्सा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का पिता रामस्वरूप सन् 1970 तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा था । वादी प्रतिवादी का पिता 1976 में फौत हो चुका है । प्रतिवादीगण सं0 3, 4, 5 मृतक रामस्वरूप की पुत्रियां है जिसके सबब उन्हें वतौर प्रतिवादी फरीक मुकदमा बनाया गया है । जिनकी शादी पिता रामस्वरूप से अपने जीवनकाल उनके हिस्से के मुताबिक राशि जेबरात व अन्य कीमती सामान देकर सम्पन्न कर दी थी । जिससे वह सन्तुष्ट होकर अपनी सुसरालों में रह रही है । व मौखिक रूप से अपना हक वादी को समपर्ण कर दिया था । गोविन्द प्रसाद मु0 कलावती के यहा गोद चला गया । जिसके गुजरने के बाद बतौर पिसर मुतबन्ना वारिस कलावती देवी खातेदार काश्त काबिज हो गया था । जिसके कारण प्रतिवादीगण का विवादित आराजी मुतदाविया से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं रहा है और ना ही इस वक्त है । आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.12 है0 4004/2/0.12 हैक्टर सालिम व खसरा नम्बर 3986/0.32 एयर के 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 3982/0.07, 3983/0.12 एअर वाके कामां नं 0–2 के 1/4 हिस्सा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है और जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम आराजी की बावत दर्ज हो रहा है उसे कलमजन करा कर अपने आपको राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करा पाने का अधिकारी है । प्रतिवादीगण की ओर वकील ने तनकी नं0 1 पर बहस में बताया कि । प्रतिवादीगण नं0 2 की ओर अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि कि आराजी खसरा नम्बर 3996/1.05,, 3997/0.15, 3998/0.18, 4003/2.01, 4004/1.09, 3986/1.00, 3982/0.07, 3983/0.12, है0 थे और कोई भी नम्बर बटा में नहीं लिखा था । खसरा नम्बर 3982, 3983 में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वा हिस्सा बराबर खातेदार चले आ रहे हैं । तथा इन दो नम्बरान के अलावा जो अन्य नम्बर व रकवा इस मद में दर्ज किया है । उसमें 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के सहकशतकारी तथा 1/2 हिस्सा हुकम माली का था । हुकम ने अपने 1/2 हिस्से को शशि रानी, सुशीला देवी, उर्मिलादेवी, रविन्द्रकुमार गीतादेवी उषारानी, को बेचान कर दिया बाद में इन खरीददारों ने अपने बयनामों के मुताबिक विभाजन के दावे न्यायालय श्रीमान में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खिलाफ किये जो इस न्यायालय से ही डिकरी हुए और उस डिकरी की पालना में कुर्रे बनाये गये तथा आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.17 है0 4004/2/0.12, 3986/0.32 एयर, 3982/0.07, 3983/0.12, वाके कस्बा कामां नं0 2 में वर्णित नम्बरान बटा डालते हुए वादी ने प्रतिवादी नम्बर एक व दो को दिये गये । और इसी प्रकार इन्द्राज किया गया विभाजन की डिकरी के खिलाफ अब भी वादी ने राजस्व अपील अधिकारी डीग के यहां अपील कर रखी है । इस प्रकार उक्त नम्बरान न्यायालय की डिकरी से अस्तित्व में आये है । वादी डिकरी के माध्यम से बने इस नम्बरान व इन्द्राज से पाबन्द है और उसके खिलाफ ऐस्टोपल लागू होता है । वादी ने पूर्व में नम्बरान के बारे में डिकलेरेशन का दावा किया था और उस समय जो नम्बरान थे उनमें से खसरा नम्बर 3997, 3998, 4003, के निस्फ हिस्से पर तथा 3986 में से एक बीघा अपने हिस्से में तथा रमन के हिस्से में बतलाई वह दावा वादी का खारिज हो गया जिसकी भी अभी अपील चल रही है और वर्तामान दावा धारा 10 जा0 दीवानी के तहत काबिल स्टे है तथा अपीलों के चलते वादी को कोई विवाद कारण उत्पन्न नहीं होता है । प्रतिवादी नं0 3 लगायत 5 ने भी इन नम्बरान के सबंध में डिकलेरेशन का दावा वादी व प्रतिवादी एक व दो के खिलाफ अपना हक मांगते हुए किया था जिसमें वादी ने कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया और यह दावा डिकरी हुआ था । वादी उस समय भी प्रतिवादी नं0 3 लगा0 5 के दावे का विरोध कर सकता था जिससे साफ जाहिर है कि वादी के इस दावे के कथन सत्य से परे है । वादी ने अपने पूर्व के दावे में प्रतिवादी नम्बर एक को सहकाश्तकार माना था

(5)

जिससे वह पाबन्द है और वादी वर्तमान दावे को लाने का अधिकारी नहीं है तथा दावे मैन्टेनेबिल नहीं है अतः दावा खारिज किया जाने योग्य है ।

हमने वकील पक्षकारान की बहस को सुना तथा मनन किया कि वादी अधिवक्ता ने बताया कि आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.07, 4003/2/0.17 4004/2/0.12, 3986/0.32, 3982/0.07, 3983/0.12 वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां आराजी खसरा नम्बर 3996/2, 3997/2, 3998/2, 4003/2, 4004/2 के वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के अलावा अन्य सहकाश्तकार थे जिनके मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है । जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में भी हो चुका है । तथा आराजी खसरा नम्बर 3986 के 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 3982 में 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 3983 में 1/4 हिस्सा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का पिता रामस्वरूप सन् 1970 तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा था । वादी प्रतिवादी का पिता 1976 में फौत हो चुका है । प्रतिवादीगण सं0 3, 4, 5 मृतक रामस्वरूप की पुत्रियां है जिनकी शादी पिता रामस्वरूप से अपने जीवनकाल उनके हिस्से के मुताबिक राशि जेबरात व अन्य कीमती सामान देकर सम्पन्न कर दी थी । जिससे वह सन्तुष्ट होकर अपनी सुसरालों में रह रही है । व लिखित प्रतिवादी नं04, 5 की ओर EXP NO 3 (जरिये हकत्याग पत्र) मौखिक रूप से अपना हक वादी को समपर्ण कर दिया था । गोविन्द प्रसाद मु0 कलावती के यहा गोद चला गया । नाम0 सं0 EXP NO 4 सलग्न है । जिसके गुजरने के बाद बतौर पिसर मुतबन्ना वारिस कलावती देवी खातेदार काश्त काबिज हो गया था । प्रतिवादी वकील ने EXD NO 1 पेश की है । जो गोपाल प्रसाद बनाम हुकम रामचन्द पिस0धनसिंह मु0 छोटी वेवा धनसिंह से सम्बन्धित है । जो इस न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री की गई है । जो इस केस से सम्बन्धित नहीं है । इसके अलावा कोई सबूत पेश नहीं किये है । आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.12 है0 4004/2/0.12 हैक्टर सालिम व खसरा नम्बर 3986/0.32 एयर के 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 3982/0.07, 3983/0.12 एअर वाके कामां नं 0–2 के 1/4 हिस्सा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है । अतः इस प्रकार तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में साबित होती है ।

2– आया कि प्रतिवादी नं02 मुस0 कलावती के यहां गोद चला गया जो मु0 कलावती के द्वारा छोड़ी गयी जायदाद पर बतौर वारिस मु0 कलावती काबिज जायदाद है ।

इस तनकी का सावित करने का भार वादी पर है । वादी अधिवक्ता द्वारा गोविन्द प्रसाद मु0 कलावती के यहा गोद चला गया । नाम0 सं0 2332 EXP NO 4 सलग्न है । जो गोदनामा के किता 9 द्वारा मु0 कलावती वेवा रामकिशोर निस्फ कौम ब्राहमण सा0देह खातेदार बाकी निस्फ बनाम गोविन्द पुत्र रामस्वरूप निस्फ कौम ब्राहमण सा0देह खातेदार वाके बदस्तूर दर्ज है । रिकार्ड में किया जा चुका है । ई0एक्स0पी0 4 सलग्न है । जिसमे कलावती वेवा रामकिशोर निस्फ कौम ब्राहमण सा0 देह खातेदार ने गोविन्द पुत्र रामस्वरूप निस्फ कौम ब्राहमण को गोदनामा कराया गया है । इस प्रकार तनकी नं0 2 वादी अपने पक्ष में सावित करने में सफल रहा है ।

इस तनकी को भी बादी अधिवक्ता द्वारा साबित किया जा चुका है ।

3–आया वादी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने नाम इन्द्राज दर्ज करा पाने का अधिकारी है ।

वादी अधिवक्ता ने बताया कि आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.07, 4003/2/0.17, 4004/2/0.12, 3986/0.32, 3982/0.07, 3983/0.12 वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां आराजी खसरा नम्बर 3996/2, 3997/2, 3998/2, 4003/2, 4004/2 के वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के अलावा अन्य सहकाश्तकार थे जिनके मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है । जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में भी हो चुका है । तथा आराजी खसरा नम्बर 3986 के 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 3982 में 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 3983 में 1/4 हिस्सा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का पिता रामस्वरूप सन् 1970 तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा था । वादी प्रतिवादी का पिता 1976 में फौत हो चुका है । प्रतिवादीगण सं0 3, 4, 5 मृतक रामस्वरूप की पुत्रियां है । जिनकी शादी पिता रामस्वरूप से अपने जीवनकाल उनके हिस्से के मुताबिक राशि जेबरात पुत्रिया द्वारा अपना हक वादी के पक्ष कर दिया गया था व अन्य कीमती सामान देकर सम्पन्न कर दी थी । जिससे वह सन्तुष्ट होकर अपनी सुसरालों में रह रही है । व लिखित प्रतिवादी नं04, 5 की ओर EXP NO 3 मौखिक रूप से अपना हक वादी को समपर्ण कर दिया था । गोविन्द प्रसाद मु0 कलावती के यहा गोद चला गया । नाम0 सं0 EXP NO 4 सलग्न है । जिसके गुजरने के बाद बतौर पिसर मुतबन्ना वारिस कलावती देवी खातेदार काश्त काबिज हो गया था । प्रतिवादीगण इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है । प्रतिवादी वकील ने ई0एक्स.डी. 1

उपखण्ड अधिकारी

श की है । जो गोपाल प्रसाद बनाम हुकम रामचन्द पिस0धनसिंह मु0 छोटी वेवा धनसिंह से सम्बन्धित है । जो इस न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिकी की गई है । जो इस केस से सम्बन्धित नहीं है । इसके अलावा कोई सबूत पेश नहीं किये है । आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.12 है0 4004/2/0.12 हैक्टर सालिम व खसरा नम्बर 3986/0.32 एयर के 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 3982/0.07, 3983/0.12 एआर वाके कामां न 0–2 के 1/4 हिस्सा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है । इस प्रकार तनकी नं0 3 भी वादी के पक्ष में सावित होती है ।

4–आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

तनकी नं 4 पूर्ण रूपेण से तनकी नं0 1, 2, 3 के विवेचन पर आधारित है । वादी इनको साबित करने में पूर्ण रूपेण सफल रहा है । वादी के पक्ष में सावित होती है ।

5–आया दावा वादी हस्ब दफा 10 जा0दी0 काबिले स्टे है ।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के बारे में प्रतिवादीगण ने कोई ठोस व साक्ष्य पेश नहीं किये हैं । जिससे इस तनकी को साबित कर सके । प्रतिवादीगण के खिलाफ तय होती है ।

6–आया वादी को दिनांक ऐस्टोपल सिद्धान्त खारिज होता है ।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने इस बावत कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है इससे इस तनकी को साबित कर सके । प्रतिवादीगण अधिवक्ता को साबित नहीं सकी ।

## आदेश

अतः आदेश है कि दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 को स्वीकार किया जाता है कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 3996/2/0.10, 3997/2/0.06, 3998/2/0.7, 4003/2/0.12 है0 4004/2/0.12 हैक्टर सालिम व खसरा नम्बर 3986/0.32 एयर के 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 3982/0.07, 3983/0.12 एआर वाके कामां नं 0–2 के 1/4 हिस्सा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है और जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम आराजी की बावत दर्ज हो रहा है उसे कलमजन करा कर अपने आपको राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज प्रकरण डिकी तैयार की जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो । पत्रावली बाद तकमील तामील दाखित दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2024 को खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया ।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,कामां (डीग)

नोट : न्यायिक आदेश दिनांक 18.3.24 के अनुसार खसरा नम्बर 4003/2/0.12 है० के स्थान पर 4003/2/0.7 है० पढ़ा जावे।